

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2013/00336

मुकदमा नम्बर 131/2013

दायर दिनांक-19.06.2013

1. छोटे लाल पुत्र श्री बक्साराम जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड नं. 02
नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
2. बजरंगलाल पुत्र बक्साराम (फौत)
2/1 तारादेवी पत्नी स्व. बजरंगलाल
2/2 बुगाल सैनी पुत्र स्व. बजरंगलाल
2/3 राकेश सैनी पुत्र स्व. बजरंगलाल
समस्त जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड नं. 2, नवलगढ तहसील नवलगढ
जिला झुझुनू
2/4 रतनी देवी पुत्री स्व. बजरंगलाल पत्नी सिकन्दर जाति माली निवासी रावता की
ढाणी वार्ड नं. 2 नवलगढ हाल आबाद जग्गुकावाली ढाणी वार्ड नं. 42 नवलगढ
तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
2/5 संजू पुत्री स्व. बजरंगलाल पत्नी भूपेन्द्र जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड
नं. 2, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुनू हाल आबाद जग्गुकावाली ढाणी वार्ड
नं. 42 नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
2/6 मधु पुत्री स्व. बजरंगलाल पत्नी रामनिवास जाति माली निवासी रावता की ढाणी
वार्ड नं. 02 नवलगढ हाल आबाद जग्गुकावाली ढाणी वार्ड नं. 42 नवलगढ तहसील
नवलगढ जिला झुझुनू
3. मूलचन्द पुत्र बक्साराम जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड नं. 2 नवलगढ,
तहसील नवलगढ जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. सावंलराम पुत्र श्री बक्साराम जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड नं. 2
नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
2. फूलचन्द पुत्र श्री चन्द्राराम जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड नं. 02
नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
3. हरिराम पुत्र चन्द्राराम जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड नं. 02 नवलगढ
तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
4. परमेश्वरी देवी पुत्री चन्द्राराम जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड नं. 2
नवलगढ, तहसील नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी

5. खेती देवी पुत्री चन्द्राराम जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड नं. 2 नवलगढ़, तहसील नवलगढ़
6. कजोड पुत्र वासुदेव जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड नं. 2 नवलगढ़, तहसील नवलगढ़
7. जगदीश प्रसाद पुत्र हनुमान जाति माली निवासी रावता की ढाणी वार्ड नं. 2 नवलगढ़, तहसील नवलगढ़
8. भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू

प्रतिवादी

दावा – अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.

प्रतिनिधित्व:-

वकील वादी- श्री विप्लव पण्डित

प्रतिवादी सं. 2 लगा.8 :- एक पक्षीय

वकील प्रतिवादी सं. 1 :- श्री चन्द्रकान्त शर्मा

-:निर्णय:-

निर्णय दिनांक 21.07.2025

वाद वादी दिनांक 27/06/2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2025/8807 दिनांक 18/07/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2013/00336

मुकदमा नम्बर 131/2013

दायर दिनांक-19.06.2013

(छोटे लाल वगै0 बनाम सावंलराम)

दावा - अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.

डिक्री


यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 27/06/2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./2025/8807 दिनांक 18/07/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह.....-..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-..... का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 21 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रुपया पैसे	मुद्दासलह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	2.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-